दिनांक 28 फरवरी, 2014 को कैबिनेट बैठक में लिये गये निर्णय :

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अन्त्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार को 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा। बी.पी.एल. परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन, 2 व 3 रुपये के हिसाब से मिलेगा। ये प्राथमिक परिवार की परिधि में आयेगें।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित राज्य के लोगो के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू। इस योजना के तहत 5 लाख रुपये वार्षिक से कम आय वर्ग के सभी लोग होंगे लाभान्वित।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पूर्ण रूप से एक जुलाई, 2014 से लागू की जायेगी। तब तक वर्तमान व्यवस्था से खाद्यान वितरण किया जाता रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कार्ड वितरण एवं पर्यवेक्षण का कार्य जिले के प्रभारी मंत्री की देखरेख में होगा।
- प्रदेश के अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को जलकर में राहत। अब सार्वजनिक स्थानों पर लगे हैंडपम्प से पानी लेने वालो को जलकर में माफी। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू संयोजन (एक व दो टोंटी) वालों को भी जलकर नही देना होगा। नगरीय क्षेत्रों में 360 रुपये तक तथा 361 से 2000 रुपये तक धनराशि के बिल आने वाले लोगों का भी होगा जल कर माफ। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 4 लाख 70 हजार है, जिन पर 100 प्रतिशत जलकर माफ। शेष 92 हजार उपभोक्ताओं पर 50 प्रतिशत जलकर माफ किया गया जायेगे। जिन पर आने वाला व्यय भार 32 करोड़ रुपये सरकार द्वारा माफ किया जायेगा। अगले वित्तीय वर्ष से इसके लिए बजटीय व्यवस्था की जायेगी।
- समाजसेवी हरि प्रसाद टम्टा के नाम से जनपद बागेश्वर में परम्परागत शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना का निर्णय। इसके लिए 100 करोड़ रूपये के कारपस फण्ड की स्वीकृति। राज्य के हस्तशिल्पों के चयन हेतु कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्योग योजना (एमएसएमई) के अंतर्गत प्रदेश में 100 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे। जिसमें 70 पर्वतीय एवं 30 मैदानी क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे।
- प्रदेश में एमएसएमई पॉलिसी लागू करने हेतु कैबिनेट मंत्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल की अध्यक्षता में उप समिति का गठन। यह समिति विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर नीति निर्धारण हेतु सुझाव देगी।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के उत्पादों के क्रय हेतु क्रय वरीयता नीति लागू। मैदानी क्षेत्र की इकाइयों को 20 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों की इकाईयों को 30 प्रतिशत मूल्य में क्रय वरीयता दी जायेगी। प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अधिकतम लाभ दिये जाने के उद्देश्य से अर्नेस्टमनी में छूट प्रदान की जायेगी।
- आपदा में क्षतिग्रस्त अथवा बह गई कृषि भूमि के मुआवजे की राशि में दोगुनी वृद्धि, अब 5 हजार रुपये प्रति नाली की दर से मिलेगा मुआवजा।
- आपदा मे ंफसल एवं पशुचारे की क्षति के मुआवजे का लिया निर्णय, क्षति का आंकलन सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जायेगा।
- पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए सेवाकाल के प्रथम दो वर्ष पर्वतीय क्षेत्र में कार्य करने की बाध्यता का निर्णय। जिसके बाद उन्हें स्वतः सुगम क्षेत्र में तैनाती का निर्णय। इस अवधि से अधिक स्वेच्छा से पर्वतीय क्षेत्र में कार्य करने वाले चिकित्सकों को विशेष मानदेय का प्राविधान।

- प्रत्येक विकासखण्ड में राजीव गांधी खेल स्टेडियम का निर्माण का निर्णय।
- पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं को छः माह की छात्रवृत्ति एकमुश्त देने का निर्णय, इसके लिए जिलाधिकारियों को शिविर आयोजित करने के निर्देश।
- मुनस्यारी को नगर पंचायत, धारचूला को नगर पालिका, चौखुटिया को नगर पंचायत, नौगांव को नगरपलिका का मिला दर्जा।
- दून विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करके महर्षि वाल्मिकी दून विश्वविद्यालय किया गया।
- अल्पसंख्यक कल्याण निगम और वक्फ विकास निगम में स्वरोजगार के लिए संचालित योजनाओं के लिए बजट धनराशि में की गई 8 गुना वृद्धि। अभी तक 1.5 करोड़ रुपये मिलता है, जिसे बढ़ाकर किया गया 10 करोड़ रुपये।
- बिजली उपभोक्ताओं को राहत हुए 31 जुलाई, 2014 तक बिजली बिला जमा करने पर लगाया गया सरचार्ज होगा माफ। भवनों के ऊपर से जाने वाली हाईटेंशन लाइन को हटाने के लिए बनी नीति। अब इसको हटाने के लिए 40 प्रतिशत सांसद/विधायक निधि, 30 प्रतिशत राज्य सरकार (पिटकुल) और केवल 30 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
- बी.एड., टी.ई.टी., शिक्षा मित्र, शिक्षा आचार्य के पदों पर संविदा पर कार्यरत शिक्षकों का होगा नियमितीकरण। इसके लिए 1898 पदों से होगी भर्ती, साथ ही कैबिनेट की उप समिति एक हजार अतिरिक्त पदो के लिए करेगी विचार। अभी तक 1900 बी.टी.सी. प्रशिक्षण वाले है, 1278 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है, जबकि 910 शिक्षा आचार्य संविदा पर कार्यरत है। शिक्षा आचार्य का गेप प्रशिक्षिण राज्य सरकार द्वारा कराया जायेगा और इनके लिये पदों को आरक्षित रखा जायेगा साथ ही आरक्षण का ध्यान रखते अतिरिक्त पद संबंधित काडर में सृजित किये जायेगें। जिन विद्यालयों में 15 या उससे अधिक छात्र उर्दू का अध्ययन करते है। वहां विद्यालय की मांग पर उर्दू अध्यापक का प्राविधान किया जायेगा।
- रूद्रप्रयाग जनपद के तिलवाड़ा से केदारनाथ धाम तक होटल एवं अन्य व्यवसायियों के सामान को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बनी नीति। क्षतिपूर्ति के लिए ए.बी.सी.डी.ई. में किया गया श्रेणीवार। 25 हजार से 2 लाख रुपये धनराशि तक वालो को 90 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। 2 लाख से 30 लाख रुपये तक वालों को 80 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। इसमें 50 प्रतिशत धनराशि आपदा राहत कोष से दी जायेगी, जबकि 50 प्रतिशत धनराशि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत बैंक के माध्यम से दी जायेगी। जिसमें 2 साल तक कोई भी ब्याज नही लिया जायेगा। इसके बाद अन्य चार आपदा प्रभावित जिलों में भी यही योजना शुरू की जायेगी।
- उच्च शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली को मंजूरी। वंचित रहे गये 200 प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण को मिली मंजूरी।
- उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के बाद रूद्रप्रयाग और बागेश्वर में बी.आर.ओ. तथा आईटीबीपी द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिए रेत व बजरी के लिए निविदा की प्रक्रिया में दी छूट। अब 125 रुपये प्रति टन के हिसाब से ले सकेंगे रेत बजरी सामग्री।
- राजकीय विभागों में कार्यरत स्वच्छकारों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि।
- राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के स्केल में हुई वृद्धि। अब राजस्व निरीक्षक का ग्रेड पे 1900 से बढ़ाकर 2800 रुपये और लेखपाल का 2800 रुपये से बढ़ाकर 4200 रुपये ग्रेड किया। पटवारियों को पुलिस कार्य हेतु पृथक से मानदेय दिया जायेगा।

———————————